न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **100 / 2022**

उनवान

जगतगुरू स्वामी श्री 1008 श्री रामदयाल जी महराज आचार्य अर्न्तराष्ट्रीय रामस्नेही सम्प्रदाय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थी

बनाम

1– पंकज पिता भंवर लाल सुगंधी निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– प्रवीण पिता रघुनन्दन सोनी निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– रमेश कुमार पिता भंवर लाल सेन निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– सद्दीक हुसेन पिता सफी मोहम्मद पठान निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– अनिल कुमार पिता बालकृष्ण शर्मा निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6– इकबाल खान पिता मुमताज खान कायमखानी निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7– हनुमान प्रसाद पिता भूरालाल ब्राह्मण निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8– राजू लाल पिता रामेश्वर कहार निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
9– लालू पिता हजारी तेली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
10– रामनारायण पिता छोगा लाल तेली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
11– नाथी पत्नी गोविन्द राम तेली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
12– रामगोपाल पिता छोगा लाल तेली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
13– दुर्गा लाल पिता नंदा खटीक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
14– पुष्पा पुत्री नन्दा खटीक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
15– प्यारी पत्नी नन्दा खटीक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
16– किशनलाल पिता भागचंद खटीक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
17– मनभरी पत्नी भागचंद खटीक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
18– आशा पुत्री भागचंद खटीक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
19– बाबू लाल पिता नंदा खटीक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
20– सुरेश पिता नंदा खटीक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
21– छोटू लाल पिता नंदा खटीक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
22– रामेश्वर पिता छोगालाल तेली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
23– रामस्वरूप पिता छोगालाल तेली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
24– सुगन लाल पिता छोगालाल तेली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
25– रामधन पिता गोविन्दराम तेली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
26– रामपाल पिता गोविन्दराम तेली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
27– सुमित्रा पुत्री नन्दा खटीक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
28– हीरा पुत्री नन्दा खटीक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री सुनील कुमार शर्मा**
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **21.09.2022**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – **ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 8216 रकबा 0.66 है0, 8217 रकबा 0.07 है0, 8220 रकबा 0.04 है0** कुल **किता** 3 रकबा **0.77** हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदारी **काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण सं0 1 **लगायत 6, 8 लगायत 13, 15 लगायत 28** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। एवं विपक्षीगण **सं0 7, 13, 14** के विरूद्ध अभिभाषक **प्रार्थी** द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी। बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **आंशिक स्वीकार** किया जाकर मौजा शाहपुरा में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् में से **आराजी नम्बर 8220 रकबा 0.04 है0 किस्म गेमु पाल होने से उक्त आराजियात को छोड़कर शेष किता 2 रकबा 0.73 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु **कमिशन फीस 500/-** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **21.09.2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा(भीलवाड़ा)राज.

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा